

8404/2019

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 514916

11 JUN 2019

अधिकारी का नाम : जी 12530
 दरमां का नाम : रुपये 5000/-
 नाम संख्या : 18642/19
 कक्षा गढ़ा : 18642/19

अम निवन्दन
 द्रव्याम प्रदुरुष

॥ ओउम श्री सिद्धिदात्री नमः !!

इकरारनामा मुहायदावै कब्जा रहित
 सौदा -27,50,000/-रु.
 ब्याना -5,50,000/-रु.
 देय स्टाम्प -55000/-रु
 कार्य क्षेत्र उपनिवंधक | मथुरा।

हम कि मैसर्स महाराजा रीयल्टर्स जो एक पंजीकृत फर्म है, जो फर्म निवंधक उत्तर प्रदेश आगरा द्वारा पंजीकरण सं. 139 ए जी 12530 दिनांक 27.05.2014 द्वारा पंजीकृत है, जिसका प्रधान कार्यालय महाराजा कॉम्प्लैक्स, सौख रोड, निकट मण्डी समिति मथुरा है, द्वारा साझीदार विपिन सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जी निवासी ग्राम पाली दूँगरा सौख रोड तहसील गोवर्धन जिला मथुरा, हाल निवासी महाराजा हाऊस 106,107 व 108 आनन्दलोक, गोवर्धन रोड तहसील व जिला मथुरा, पैन : ए ए जेड एफ एम 1342 सी - मैसर्स महाराजा रीयल्टर्स, मो : 08859404056, इच्छुक विक्रेता प्रथम पक्ष व नेत्रपाल सिंह पुत्र स्व० रमेशचन्द्र निवासी ग्राम उटवारा पोस्ट सिमरीठी परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ़, मो-8077007377 व पैन : बी एन एच पी एस 7422 पी, इच्छुक क्रेता द्वितीय पक्ष, पक्षगण इस लेखपत्र इकरारनामा के हैं। प्रथम पक्ष/विक्रेता तथा द्वितीय पक्ष/क्रेता दोनों में उनके प्रतिनिधि कानूनी हकदार तथा वारिसान सम्मिलित हैं। इकरारनामा की सभी शर्तें उन पर भी लागू होंगी।

Neerajpal Singh

Neerajpal Singh

जनरल ब्रांडिंग कंपनी
संख्या ५३ दिनांक १९६४
संस्थान विभाग
मुख्यालय
राजेन्द्र प्रसाद तिथि ३१ अक्टूबर १९६४
८ रविन्द्र बहुमार राज्य पालक
संगठन ११, रघुद्वी नाकता, एस





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 514917

{2}

जोकि दो किता भूखण्ड सं. ए-६९ व ए-७० जो आपस में मिले हैं,
कुल पैमायश पूरब-14.64 मीटर, पश्चिम-14.64 मीटर, उत्तर-15.54 मीटर,
दक्षिण-15.54 मीटर कुल क्षेत्रफल 272 वर्गगज बराबर 227.50 वर्गमीटर,
जिसकी सीमा इस प्रकार है।

पूरब - रास्ता कॉलोनी ९ मीटर चौड़ा

पश्चिम - भूखण्ड सं. ए-७५ व ए-७६

उत्तर - भूखण्ड सं. ए-६८

दक्षिण - भूखण्ड सं. ए-७१

स्थित मौजा गनेशरा तहसील व जिला मधुरा अन्दरून महाराजा पार्क
आवासीय कॉलोनी, जो खसरा नं० ९७८,९७९,९८०,९७७ / २(भाग) व ९७६(भाग)

Netrapal Singh

Netrapal Singh

७८ नं रुद्र रुद्राम्य वर्गी ०
स्थानी ० ५४ १५/६/१९
नाम ० ५५
संख्या ० ११

अरविंद कुमार रुद्राम्य विजेता
स्थानी ० ११, रजिस्ट्री ऑफिस, भारत



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 514918

11 JUN 2018

(3)

मौजा गनेशरा तहसील व जिला मधुरा की भूमि पर बनी है। विक्रय भूखण्ड खसरा नं. 979 की भूमि में है, मिल्कियत विक्रेता फर्म है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि को विक्रेता फर्म व उसके साझीदारान द्वारा भिन्न-भिन्न वैनामाओं से क्रय कर उक्त खसरा नम्बरान की भूमि को विक्रेता फर्म में समाहित किया तथा उक्त भूमि बजारिये वैनामा/पार्टनरशिप डीड के द्वारा फर्म में आयी है। बादहू विक्रेता फर्म द्वारा उक्त खसरा नम्बरान की भूमि को विक्रेता फर्म द्वारा आवासीय उद्देश्य से विकसित करने हेतु उसमें विभिन्न

3/112
Signature

Netrapal Singh

Fingerprint

जनरल स्टास्प की० १५६।।८
इस्त० ५५ ता० १५६।।९
नाम ५३ पुष्पा श्री
संख्या ५३ फै०
भरविल्ड लुमार लाल नगर
लालनगर ११, राजस्थान भारत, मध्य



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

मार्त्तम्

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 514919

11 JUN 2019

{4}

विकास कार्य कराए और उक्त कॉलोनी का मानचित्र मधुरा—वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मधुरा से मानचित्र सं. 294 / एम / 2016-17 व 2017-18 स्थीरूप कराया और उक्त "महाराजा पार्क, आवासीय कॉलोनी" विकसित की। इस प्रकार उक्त कुल सम्पत्ति एकमात्र मिल्कियत विक्रेता फर्म की है, जिस पर विक्रेता फर्म का ही कब्जा है, जिस पर कोई निर्माण नहीं है तथा विक्रेता फर्म ही उक्त भूखण्ड पर बहसियत मालिक काविज दखील चली आती है तथा विक्रेता फर्म का ही नाम सरकारी कागजात आदि में दर्ज हैं। सिवाय विक्रेता फर्म के उक्त भूखण्ड का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं

Netrapal Singh

Netrapal Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 514920



{5}

है और न किसी जगह रहन व गिरवी आदि है तथा विक्रेता फर्म को उक्त भूखण्ड की बाबत पूरे मालिकाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकार प्राप्त हैं तथा उक्त भूखण्ड किसी सरकारी संस्था या बैंक आदि में बंधक नहीं हैं और न किसी डिग्री में नीलाम या कुर्क हैं और न ही विक्रेता फर्म ने उक्त भूखण्ड की बाबत कोई इकारारनामा किसी के साथ तय किया है और ऐसा कोई

रु. 5000
Netrapal Singh

Netrapal Singh

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 514921

{6}

व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है, जो उक्त भूखण्ड के बेचने या हस्तान्तरण आदि करने में बाधा या रुकावट डाल सके और मुझ विपिन सिंह को विक्रेता फर्म मैसर्स महाराजा रीयल्टर्स व उसके अन्य साझीदारान द्वारा उक्त भूखण्ड को विक्रय करने, इकरारनामा करने, इकरारनामा पंजीकृत कराने आदि हेतु पूर्णतः अधिकृत किया हुआ है, यानि मुझको उक्त भूखण्ड सौदा, इकरारनामा, बैनामा रजिस्ट्री व रूपया अदा व प्राप्त करने व कराने आदि के पूरे—पूरे अधिकार प्राप्त हैं। अब वास्ते खर्च खुद विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपने उक्त भूखण्ड को बेचने का सौदा 27,50,000/- रु. (सत्ताईस लाख पचास हजार रुपये) में बहक नेत्रपाल सिंह पुत्र स्व० रमेशचन्द्र निवासी ग्राम उटवारा पोस्ट सिमरीठी परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ़, क्रेता द्वितीय पक्ष के साथ नीचे

Netrapal Singh

Netrapal Singh





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 514922

(7)

लिखी शर्तों के अनुसार तय कर लिया गया है, जिसके प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष व उनके वारिसान सदैव पाबन्द रहेंगे –

1. यह कि खर्च बैनामा व स्टाम्प फीस आदि सब क्रेता द्वितीय पक्ष के साथ तय पाया गया है।
2. यह कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से व्याने में 5,50,000/-रु. (पाँच लाख पचास हजार रुपया) धैक सं. 035547 दि 0 17.06.2019 भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्राप्त कर लिए हैं व शेष 22,00,000/-रुपया वक्त रजिस्ट्री बैनामा प्राप्त करेंगे।
3. यह कि प्रथम पक्ष उक्त भूखण्ड का बैनामा आज की तारीख से 06 (छः) माह के अन्दर समस्त कानूनी पूर्ति करके तथा क्रेता को मौके पर उक्त

Netrapal Singh
Signature

Fingerprint

भारतीय गैर न्यायिक | INDIA NON JUDICIAL

भारत

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 514923

{8}

भूखण्ड की पैमायश कराकर व उसकी सूचना क्रेता को देकर द्वितीय पक्ष के नाम या द्वितीय पक्ष द्वारा नामित के नाम बैनामा कर देगा। अगर प्रथम पक्ष उक्त म्याद में उक्त भूखण्ड का बैनामा द्वितीय पक्ष खरीदार के हक में या द्वितीय पक्ष द्वारा नामित व्यक्ति के हक में न करें, तो खरीदार द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा, कि वह विक्रेता प्रथम पक्ष से बाजाव्हा बजारिये अदालत उक्त भूखण्ड का बैनामा व्याने का दिया हुआ रुपया मुजरा करते हुए करा ले। ऐसे हालात में द्वितीय पक्ष के समस्त हर्जे-खर्चे की जिम्मेदारी विक्रेता प्रथम पक्ष की होगी तथा नुकश कानूनी पाये जाने की दशा में व्याना जब नहीं होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूखण्डों को क्रय करने हेतु किसी भी सरकारी/गैर सरकारी बैंक आदि से ऋण ले सकते हैं तथा द्वितीय पक्ष उक्त भूखण्डों को



(नीरप)

Netrapal Singh

(Signature)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 514924



{9}

क्रय करने की अनुमति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद (प्रयागराज) से प्राप्त होने के बाद बैनामा करायेंगे।

5. यह कि इकरारनामा का स्टाम्प नियमानुसार बैनामा में मुजरा यानि समायोजित होगा। कब्जा वक्त बैनामा क्रेता को दिया जावेगा, कब्जा इस समय क्रेता को नहीं दिया गया है।

6. यह कि खरीदार द्वितीय पक्ष उक्त म्याद समाप्ती से पूर्व यदि बैनामा कराना चाहे, तो प्रथम पक्ष को लिखित नोटिस द्वारा सूचित कर बैनामा करा सकता है।

Netrapal Singh

आवेदन सं: 201900764021940

विक्रय अनुबंध विलेख (विना कब्जा)

बही सं: ।

रजिस्ट्रेशन सं: 8404

वर्ष: 2019

प्रतिफल- 2750000 स्टाम्प शुल्क- 55000 अग्रिम राशि- 550000 पंजीकरण शुल्क- 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क- 80 योग: 20080

श्रीमैसर्स महाराज रीयलट्स द्वारा
 विविन सिंह अधिकारी पदाधिकारी/ प्रतिनिधि 17-619 (710)
 शुल्क श्री महाराज सिंह जी
 कामसार रोड करात
 सिपसी बाजार बाजार दहरा गोवधन जिला भंपुरा हाल निं० महाराजा हाऊस
 106, 107 व 108 आवासोंक मध्ये



श्री मैसर्स महाराज रीयलट्स द्वारा
 द्वारा 106, 11, राजस्थान जालनस, न
 ने पहले लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक
 17/06/2019 एवं 12:04:31 PM बजे
 निवधन हेतु पेश किया।

विविन सिंह अधिकृत
 पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस० सिंह
 उप निबंधक : सदर प्रथम
 मध्या
 17/06/2019
 सतीश चौधरी,
 निबंधक लिपिक



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 514925

11 JUN 2019

(10)

अतः यह इकरारनामा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हक में पूर्ण स्वस्थ्यधित्, होशो-हवास में खूब सोच समझकर लिख दिया, कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

Netrapal Singh

आवेदन सं: 201900764021940

बही सं: 1

रजिस्ट्रेशन सं: 8404

वर्ष: 2019

निधान लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रतेकानुसार उक्त
विक्रेता: 1

जनरल रेजिस्ट्रर
श्री मेसर्स महाराजा रीपब्लिक के द्वारा विपन सिंह, पुत्र
काम्पो निवासी: ग्राम पालीदूमरा तह० गोवर्धन जिला मधुरा
हाल नि० महाराजा हाल अस 106, 107 व 108
आवासाय: मधुरा
व्यवसाय: डेकाटर
अरविन्द कुमार
कृता: 1
हाल 11, रामेश्वरनन्द



श्री नेत्रपाल सिंह, पुत्र वा० स्व० रमेश्वरन्द

निवासी: ग्राम उटवारा पोस्ट सिमरीठी परगना टप्पल
तह० खेर जिला अलीगढ़व्यवसाय: अन्य Netrapal Singh

ने निधान स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री रविन्द्र, पुत्र श्री रमेश्वरन्द

निवासी: ग्राम उटवारा तह० खेर जिला अलीगढ़

व्यवसाय: अन्य Ravinder

पहचानकर्ता: 2



श्री चिवेक, पुत्र श्री नितिन

निवासी: महाविद्या कालोनी मधुरा

व्यवसाय: अन्य



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान छागड़े
नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी:

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
एस० क० सिंह
उपनिवेशक: संदर प्रथम
संस्था
सतीश चौधरी
निवेशक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 514926

{11}

उल्लेख प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार उन्हें पढ़ा व सुनाकर व दिखाकर रुबरु
गवाहान उनके निर्देशानुसार झापट व टाईप किया गया है।



Netrapal Singh




तहरीर दिनांक : 17.06.2019

टाईप किया : के० के० शर्मा, मथुरा।


झापट किया : नितिन कुमार बंसल कातिब रजिस्ट्री कार्यालय मथुरा।
साक्षी—

1. रविन्द्र पुत्र स्व० रमेशचन्द्र
नि० ग्राम उटवारा तह० खैर जिला अलीगढ़।

2. विवेक पुत्र श्री नितिन
नि० महाविद्या कॉलोनी मथुरा।









आवेदन सं०: 201900764021940

बही संख्या । जिल्द संख्या 14971 के पृष्ठ 377 से 398 तक
क्रमांक 8404 पर दिनांक 17/06/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

जनरल स्टाम्प नं० 8
क्र० १० १७-६१९
नं० ८
सं० ८
अरविन्द कुमार स्टाम्प इवेटा
लाई० ११, रजिस्ट्री ऑफिस, मधुरा

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस० क० सिंह
उप निबंधक : सदर प्रथम
मधुरा
17/06/2019



18642/2019
Prateek Upadhyay
OFFICER - TRAINEE
SHCIL - MATHURA



सत्यमव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.
Certificate Issued Date
Account Reference
Unique Doc. Reference
Purchased by
Description of Document
Property Description
Consideration Price (Rs.)
First Party
Second Party
Stamp Duty Paid By
Stamp Duty Amount(Rs.)

: IN-UP07058258646025R
: 23-Dec-2019 01:22 PM
: SHCIL (FI)/ upshcili01/ MATHURA/ UP-MTH
: SUBIN-UPUPSHCIL0108394815485513R
: NETRAPAL SINGH
: Article 23 Conveyance
: MOUZA GANESHRA MAHARAJA PARK MATHURA
:
: MESSERS MAHARAJA REALTORS
: NETRAPAL SINGH
: NETRAPAL SINGH
: 87,600
(Eighty Seven Thousand Six Hundred only)



Please write or type below this line.....

Netrapal Singh



Netrapal Singh



SR 0003840755

Important Note:

The authenticity of this e-Stamp certificate should be verified at www.eStamp.com. Any discrepancy in the details on this Certificate, or if it is forged, it may be reported to the concerned authority at the earliest. In case of any discrepancy, please inform the Competent Authority.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

₹.5000

पाँच हजार रु

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DC 005665

(2)

!! ओउम सिंहदात्री नम: !!

लेखपत्र/विक्रयपत्र भूखण्ड का संक्षिप्त विवरण—

- सम्पति का प्रकार : आवासीय भूखण्ड
- सम्पति स्थित : मौजा गनेशरा तहसील व जिला मधुरा अन्दरून महाराजा पार्क आवासीय कॉलोनी
- सम्पति का विवरण : दो किता भूखण्ड सं. ए-69 व ए-70 जो आपस में मिले हैं।
- मापन की इकाई : वर्ग मीटर
- सम्पति का क्षेत्रफल : 227.50 वर्ग मीटर
- सड़क की स्थिति : 6 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित है।
- प्रतिफल धनराशि : 27,50,000/-रु
- सरकारी मालियत : 18,20,000/-रु
- कुल देय रटाम्प : 1,92,500/-रु. जिसमें से वक्त इकरारनामा देय रटाम्प—55000/-रु मुजरा रटाम्प—54900/-रु वक्त बैनामा देय रटाम्प—1,37,600/-रु जिसमें जनरल रटाम्प—50000/-रु व 87600/-रु का ई-रटाम्प दिनांक 23.12.2019 जो प्रलेख के साथ संलग्न है।
- सरकारी दर भूमि 8000/-रु प्रति वर्ग मीटर, जो रेट लिस्ट के पेज नं. 19 क्रमांक 46 वी कोड 1006 पर दर्ज है।
- कार्य क्षेत्र उपनिवंधक प्रथम मधुरा।

उक्त कॉलोनी विकासशुल्क क्षेत्र के अन्दर व नगर निगम मधुरा—वृन्दावन की सीमा क्षेत्र के अन्दर है और मधुरा—वृन्दावन विकास प्राधिकरण मधुरा द्वारा स्वीकृत कॉलोनी है।

४८८

Netrapal Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DC 005666

{3}

विक्रेता का विवरण :-(1)

मैसर्स महाराजा रीयल्टर्स जो एक पंजीकृत फर्म है, जो फर्म निबंधक उत्तर प्रदेश आगरा द्वारा पंजीकरण सं. 139 ए जी 12530 दिनांक 27.05.2014 द्वारा पंजीकृत है, जिसका प्रधान कार्यालय महाराजा कॉम्प्लैक्स, सौख रोड, निकट मण्डी समिति मथुरा है, द्वारा साझीदार विधिन सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जी निवासी ग्राम पाली दुंगरा सौख रोड तहसील गोवर्धन जिला मथुरा, हाल निवासी महाराजा हाऊस 106,107 व 108 आनन्दलोक, गोवर्धन रोड तहसील व जिला मथुरा।

पैन : ए ए जेड एफ एम 1342 सी – मैसर्स महाराजा रीयल्टर्स

मो : 08859404056

क्रेता का विवरण :-(1)

नेत्रपाल सिंह पुत्र स्व० रमेशचन्द निवासी ग्राम उटवारा पोस्ट सिमरौठी परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ़।

मो-8077007377

पैन : बी एन एच पी एस 7422 पी

[Signature]

[Fingerprint]

Netrapal Singh

[Fingerprint]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DC 005667

{4}

जोकि, दो किता भूखण्ड सं. ए-६९ व ए-७० जो आपस में मिले हैं, कुल पैमायश पूरब-14.64 मीटर, पश्चिम-14.64 मीटर, उत्तर-15.54 मीटर, दक्षिण-15.54 मीटर कुल क्षेत्रफल 272 वर्गमीटर बराबर 227.50 वर्गमीटर, जिसकी सीमा इस प्रकार है—
पूरब — रास्ता कॉलोनी ९ मीटर छीड़ा
पश्चिम — भूखण्ड सं. ए-७५ व ए-७६
उत्तर — भूखण्ड सं. ए-६८
दक्षिण — भूखण्ड सं. ए-७१

स्थित मौजा गनेशरा तहसील व जिला मथुरा अन्दरून महाराजा पार्क आवासीय कॉलोनी, जो खसरा नं० 978,979,980,977/२(भाग) व 976(भाग) मौजा गनेशरा तहसील व जिला मथुरा की भूमि पर बनी है। विक्रय भूखण्ड खसरा नं० 979 की भूमि में है तथा विक्रय भूखण्ड को विक्रयपत्र के साथ संलग्न नक्शे में रंग लाल से दर्शाया गया है, मिलिक्यत विक्रेता फर्म है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि को विक्रेता फर्म व उसके साझीदारान द्वारा भिन्न-भिन्न बैनामाओं से क्रय कर उक्त खसरा नम्बरान की भूमि को विक्रेता फर्म में समाहित किया तथा उक्त भूमि बजरिये बैनामा / पार्टनरशिप छीड़ के द्वारा फर्म में आयी है। वादहू विक्रेता फर्म द्वारा उक्त खसरा नम्बरान की भूमि को विक्रेता फर्म द्वारा आवासीय उद्देश्य से विकसित करने हेतु उसमें विभिन्न विकास कार्य कराए और उक्त कॉलोनी का मानचित्र मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा से मानचित्र सं. 294 / एम / 2016-17 व 2017-18 स्वीकृत कराया और उक्त "महाराजा पार्क, आवासीय कॉलोनी" विकसित की। इस प्रकार उक्त कुल सम्पत्ति एकमात्र मिलिक्यत विक्रेता फर्म की है, जिस पर विक्रेता फर्म का ही कब्जा है, जिस पर उक्त विक्रेता फर्म का वास्तविक

Netrapal Singh

Netrapal Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DC 005668

13 DEC 2013

(5)

मालिकाना अधिष्ठित है और जिसकी बाबत् विक्रेता फर्म को हर प्रकार के अधिकारात् मालिकाना व काविजाना व हस्तान्तरण आदि के प्राप्त हैं और जो हर तरह के वाद—विवादों, झगड़े झांझटों, कजौं व जमानतों व हर प्रकार की देनदारियों से मुक्त है और न किसी जगह रहन व गिरवी आदि है और न ही उक्त भूखण्ड किसी सरकारी / गैर सरकारी / अद्वृ सरकारी संस्था या वैक आदि में बंधक है और न ही विक्रेता फर्म ने उक्त भूखण्ड को बेचने का कोई इकारारनामा सिवाय खरीदार के किसी अन्य के साथ तथा कर रखा है और न कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु या कारण है, जो विक्रेता फर्म के इस भूखण्ड के बेचे जाने में किसी भी प्रकार की रुकावट या बाधा पैदा कर सके। उक्त भूखण्ड खाली है, उस पर कोई निर्माण नहीं है। इस भूखण्ड से कोई आय या लाभ विक्रेता फर्म को नहीं है और न विक्रेता फर्म के उपयोग में आ रहा है और न ही निकट भविष्य में उसे उपयोग में लाने का कोई विचार है। भूखण्ड की देखरेख व सुरक्षा में खर्चों करना पड़ता है, जिस कारण उसे बेचा जाना विक्रेता फर्म के हित में है, खरीदार अच्छी कीमत पर लेने को तैयार है तथा बेच देने में विक्रेता फर्म का सरासर लाभ है। खरीदार द्वारा मौके पर विक्रय भूखण्ड को व उसकी भित्तियत सम्बन्धी समस्त कागजातों को भली प्रकार देख व समझ लिया है, जिससे वह पूर्णतः संतुष्ट है और मुझ विपिन सिंह को विक्रेता फर्म मैसर्स महाराजा रीयल्टर्स व उसके अन्य साझीदारान द्वारा उक्त भूखण्ड को विक्रय करने, बैनामा पंजीकृत कराने आदि हेतु पूर्णतः अधिकृत किया हुआ है, यानि मुझको उक्त भूखण्ड सौदा, इकारारनामा, बैनामा रजिस्ट्री व रूपया अदा व प्राप्त करने व कराने आदि के पूरे-पूरे अधिकार प्राप्त हैं। अतः उक्त भूखण्ड

Netrapal Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DC 005669

विरिज्जन कोषाधिकारी

मृगा

13 DEC 2019

उत्तर प्रदेश कोषाधिकारी

मृगा

मृगा

{6}

को समस्त हक हकूक व अधिकारों सहित जो विक्रेता फर्म को प्राप्त हैं या भविष्य में प्राप्त हो, कुल को बिना छोड़े मय राइट्स व इन्ट्रेस्ट व गुडटाइटिल के बखुशी वराजी देंगे ज कुल मु 27,50,000/-रु. (सत्ताईस लाख पचास हजार रुपये) में बदरत नेत्रपाल सिंह पुत्र स्व० रमेशचन्द्र निवासी ग्राम उठवारा पोस्ट सिमरौठी परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ़, खरीदार द्वितीय पक्ष को बैकतई कर दिया और बेच दिया और मूल्य का कुल रुपया विक्रेता ने खरीदार से निम्न माँति प्राप्त कर लिया है और कीमत का कुल रुपया प्राप्त होना अंगीकार कर वास्तविक मालकाना कब्जा व दखल बेचे गए भूखण्ड पर खरीदार का करा दिया है और विक्रेता फर्म ने अपना कब्जा विक्रय भूखण्ड से हटा लिया है। आज से खरीदार विक्रय भूखण्ड का एकमात्र मालिक व स्वामी हो गया, जिसकी बाबत वह कल अधिकारात मालकाना व काविजाना व हस्तान्तरण आदि के प्रयोग में लाये और एकमात्र स्वामी के रूप में खरीदार भूखण्ड को खरीदार बहैसियत स्वामी अपने रिहायशी उपयोग में लाये, उससे लाभान्वित हो, उस पर निर्माण करे, उसे हस्तान्तरित करे, यानि भूखण्ड का खरीदार निम्न प्रतिबन्धों की पाबन्दी के साथ खुद जो चाहें सो करे, अब विक्रेता फर्म व उसके साझीदारान व रथानापन्नों को बेचे गए भूखण्ड से कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न ही आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। यदि बेचे गए भूखण्ड की बाबत कभी कोई विवाद किसी प्रकार का उत्पन्न हो, अथवा बेचे गए भूखण्ड का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जाये या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई वार बरामद हो, तो उसकी

Netrapal Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 712860

28 DEC 2019

673

समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदाकर्दा रूपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा सब विक्रेता फर्म के जिम्मे है। खरीदार विक्रेता फर्म के द्वारा किए गए विकास कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट है। उक्त भूखण्ड की कीमत में आन्तरिक विकासशुल्क शामिल है। भूखण्ड धारक द्वारा निर्माण कार्य शुरू करते समय बैनामा के अनुसार पैमायश की पुष्टी करानी होगी। निर्माण पास मानवित्र अनुसार ही खरीदार को खरीदे हुए भूखण्ड के अन्दर ही करना होगा। भूखण्ड धारक उक्त भूखण्ड का डिमार्केशन अधिकृत अधिकारी/फर्म द्वारा कराकर, नींव खोदकर, बाउण्ड्री की पिलन्य भरकर तथा नींव भरते समय डांडे छोड़कर पुनः चैक कराकर निर्माण कार्य करायेगा। पैमायश में त्रुटि होने पर भूखण्ड धारक को खुद ठीक करानी होगी। यदि भूखण्ड धारक ठीक नहीं कराता है, तो उसे तड़वाकर हर्जा-खर्चा भूखण्ड धारक से वसूल करने का विक्रेता फर्म को अधिकार होगा। भूखण्ड धारक को विद्युत कनैक्षन विद्युत विभाग से नियमानुसार लेना होगा। कोई जम्फर आदि नहीं ढालेगा। घर के गेट से सढ़क की पटरी पर सीधे रैम्प छज्जा नहीं बनायेगा व पाईप लाईन का कनैक्षन अपनी साइड की सदरी नजदीकी लाइन से अधिकृत अधिकारी/संस्था से लेना होगा। शौचालय लाइन का कनैक्षन कॉलोनी में उपलब्ध नजदीकी सीबर लाईन से भूखण्ड धारक को अपने खर्चे पर कराना होगा। कॉलोनी में भविष्य में कराये जाने वाले विकास अथवा विकास के रख रखाव के दौरान जैसे चाहे रैम्प तुड़वाकर कार्य कराने का अधिकृत अधिकारी/फर्म को अधिकार होगा। भूखण्ड धारक को अपने मकान का सैट बैक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनिवार्य रूप से छोड़ना होगा।

Netrapal Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 712861

{8}

28 DEC 2018

व भूखण्ड धारक के प्लॉट के दो तरफ रास्ता होने पर जो कि गेट के लिए निर्धारित (दिशा) रोड है उसकी तरफ एक ही दिशा में गेट निकाल सकेगा व दूसरी तरफ खिड़की निकाल सकेगा, छज्जा, रैम्प, कूलर व ए.सी. आदि नहीं लगा सकेगा व किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। भूखण्ड धारक द्वारा निर्माण के समय पिलन्थ की ऊँचाई व रैम्प की लम्बाई नियमानुसार ही रखनी होगी एवं ग्राउण्ड फ्लोर का लेबिल सामने की सड़क से 12 इंच ऊँचा व अन्दर का इससे 6 इंच ऊँचा यानि कुल मिलाकर 18 इंच से अधिक ऊँचा नहीं हो सकेगा। पेड़—पौधे, गमले, सड़क, पार्क आदि जन सुविधाओं का किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण करने या उसके द्वारा किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने पर क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित व्यक्ति की होगी। कॉलीनी सिर्फ शान्तीपूर्वक रहकर साफ सुथरा रखते हुए शिक्षित व सभ्य समाज के लिए रिहायशी इस्तेमाल हेतु बनायी गयी है। खरीदार पाठ्यक्रम की साइड दरवाजा नहीं निकाल सकते, कवल खिड़की, पिंजर लगा सकते हैं और न ही पाठ्यक्रम को क्षतिग्रस्त करेगा। कॉलीनी विकास रख रखाव आदि सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्धारित सभी नियम व शर्तें खरीददार द्वारा मान्य होंगी। खरीददार उक्त या अन्य ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे उद्देश्य धूमिल हो या अन्य निवासियों को कष्ट हो। यदि कोई ऐसा करेगा, तो विक्रेता कर्म या निर्धारित रख रखाव समिति या संस्था अन्य कॉलीनी निवासियों को पब्लिक न्यूसेस के आधार पर विना कानूनी कार्यवाही रोकने व हटाने का अधिकार होगा। कॉलीनी रिहायशी इस्तेमाल हेतु बनायी गयी है। किसी भी भूखण्ड की साइड में पार्क होने की दशा में भूखण्ड धारक पार्क की तरफ गेट नहीं कर सकेगा।

3 (त्रिपुरा)
Netrapal Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 712862

{9}

28 DEC 2018

केवल खिड़की निकाल सकेगा, व छज्जा, रैम्प, कूलर व ए.सी. आदि नहीं
लगा सकेगा व किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। किसी भी
भूखण्ड धारक द्वारा भूखण्ड का उपयोग रिहायशी मकान के अलावा बदलकर
कॉर्मरिशियल, दुकान, रास्ता आदि का निर्माण व उपयोग करना व कॉलीनी की
चार दीवारी आदि तोड़ना व चार दीवारी के उद्देश्य पूर्ति में बाधा उत्पन्न
करना व क्षति पहुँचाना अवैध व वर्जित होगा। उक्त भूखण्ड में कोई पालतू
जानवर गाय—मैस, बकरी आदि नहीं रख व पाल सकेगा और ट्रैक्टर—ट्रॉली,
ट्रक, बस, टैम्पो आदि कॉर्मरिशियल व बड़े वाहन कॉलीनी के अन्दर अनिवार्य
रूप से नहीं रख सकेगा। कॉलीनी के गेट बाउण्डीवाल, पेड, पार्क, स्ट्रीट
लाइट, पानी सप्लाई, पानी की टंकी, सीवर लाइन, सीवर टैक, ड्रेन,
इलैक्ट्रिकसिटी, स्लिमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम, मार्केट व मन्दिर आदि हर
प्रकार की सार्वजनिक सुविधाएं जो अब हैं व भविष्य में विकसित होंगी उनको
उपयोग में लेने के लिए विक्रेता/विकासकर्ता फर्म/फर्म के साझीदारों द्वारा
भविष्य में एक्सटैशन/कॉलीनी विस्तार/एरिया वृद्धि करने के लिए प्राधिकरण
से नक्शा पास कराने के लिए या कोई कनैक्शन लेने के लिए व हर प्रकार से
पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होंगे। जिसमें मुझ क्रेता को कभी भी किसी भी प्रकार की
कोई आपत्ति नहीं होगी। इसमें मेरी तरफ से पूर्ण सहमति है। पर्यावरण एवं वन
मत्रालय के शासनादेशों के अनुसार यदि कॉलीनी के अन्दर आन्तरिक विकास
कार्यों के रूप में रेन वाटर हारवेस्टिंग यूनिट या सीपेज एवं उन्साव ट्रीटमेंट
यूनिट का अतिरिक्त निर्माण किया जाता है, तो भूखण्ड खरीदार द्वारा यूनिट
के निर्माण पर आने वाले खर्च का भुगतान विक्रेता फर्म की डिमान्ड पर 30

B. Chitrakar

Netrapal Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 712863

{10}

दिनों के भीतर अदा करना होगा। विक्रेता फर्म द्वारा कॉलीनी की सुविधाओं / अधिस्थापनाओं हेतु प्रबन्ध व्यवस्था नगर निगम या अन्य समकक्ष निकायों द्वारा भविष्य में की जायेगी। लेकिन जब तक व्यवस्थाएँ अधीनस्थ निकाय द्वारा अपने हाथ में नहीं ली जाती हैं तब तक इस कार्य को संम्पादित करने के लिये विक्रेता फर्म द्वारा एक अधिस्थापना कोष की रचना की गयी है जिसकी खरीदार से निर्धारित अधिस्थापना जमा राशि ली जा रही है यह राशि अधिस्थापना कोष का भाग रहेगी। इस कोष से व इसकी ब्याज से या अन्य तरीके से इनवैस्टमेंट से प्राप्त धनराशि से कॉलीनी में जनसुविधाओं की प्रबन्ध व्यवस्था की जायेगी लेकिन इन सुविधाओं के सम्बन्ध में नियमित व्यय रेकरिंग एक्सपैसिस खरीदार द्वारा जितना शुल्क कम पड़ेगा उतना शुल्क मसिक जनसुविधाओं शुल्क के रूप में अदा किया जायेगा। विक्रेता फर्म को नियमानुसार व्यय विलम्ब शुल्क के साथ कानूनी कार्यवाही कर वंसूलने का अधिकार होगा। कलब चार्ज सोसाइटी मैन्टेनेस चार्ज है। उक्त भूखण्ड विकास शुल्क क्षेत्र के अन्दर व नगर निगम मथुरा-वृन्दावन की सीमा व आगासीय क्षेत्र के अन्दर स्थित है। भविष्य में विक्रय भूखण्ड पर लगने वाले समस्त बाह्य/आन्तरिक विकासशुल्क, टैक्स आदि को अदा करने की जिम्मेदारी खरीदार की होगी। खर्चों बैनामा, स्टाम्प फीस आदि विक्रेता ने वहन किया है। भूखण्ड क्रय कर आए किसी व्यक्ति या फर्म को भूखण्ड की पुनः विक्री के समय मूल नियमों के अनुसार समस्त नियम व शर्तों के अनुपालन की सुनिश्चितता लिखित रूप में करनी होगी। निर्माण के दौरान निर्धारित नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। अतः यह विक्रयपत्र

B/2014

Netrapal Singh

आवेदन सं.: 201900764047123

बही सं.: ।

रजिस्ट्रेशन सं.: 18642

वर्ष: 2019

निष्पादन डोक्यूमेंट वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रतेकानुसार उक्ता

विक्रेता: ।

जनरल स्टडी २३१२१९

श्री महाराजा रीप्लास के द्वारा विपिन सिंह, पुत्र
श्री महाराजा सिंहनिवासी: प्राम उद्धुरामसरामधुरा हाईनो महाराजा
हाईस 106, 107 व 108 आनंदलोक मधुरा

दिनेश कुमार सिंह विवरण अध्ययन

२०१२-१३ रोप्तान

प्रेस्टान: ।

श्री नेत्रपाल सिंह, पुत्र श्री रमेशचन्द्र

निवासी: प्राम उद्धुरामसरामधुरा हाईनो परगना टप्पल
तह० लैर जिला अलीगढ़

व्यवसाय: अन्य Netrapal Singh



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: ।

श्री विराग चौधरी, पुत्र श्री अशोक कुमार

निवासी: मधुरा रोड निकट राजरानी मेहरा गैस्ट
हाईस विषुरारी नगर हाथरस

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: २

श्रीमती सरिता सिंह, पत्नी श्री नेत्रपाल सिंह

निवासी: बी-७ जजेज कम्पाउण्ड निकट के के
हाँसपीटल रिवर बैंक कालीनी लखनऊ

व्यवसाय: गृहिणी



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.क० सिंह
उप निबंधक: सदर प्रथम

सतीश चौधरी,
निबंधक लिपिकने की। प्रत्यक्षतः भद्र साहित्यिकों के निशान अंगूठे
निपमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी:



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 712864



प्रिक्रेता^१ ने वस्तुशी वराजी खुब सोच समझकर बिना किसी दबाव के खरीदार के हक में लिखा दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे। उक्त भूखण्ड को बेचने का सीदा विक्रेता ने क्रेता के साथ इकरारनामा दिनांक 17.06.2019^{ई०} जिसका निबध्नन कार्यालय उ०नि० मथुरा पर बही सं १/जिल्द सं 14971 के सफा 377-398 क्रमांक 8404 पर दिनांक 17.06.2019^{ई०} को हुआ है, तथा किया, जिसके अनुपालन में उक्त भूखण्ड का बैनामा विक्रेता, क्रेता के हक में कर रहे हैं।

विवरण मूल्य का कुल रुपया प्राप्ति का—

मूल्य का कुल 27,50,000/-रु विक्रेता ने क्रेता से इस प्रकार प्राप्त किया कि—

5,50,000/-रु, बैंक सं. 035547 दिन 17.06.2019 भारतीय स्टेट बैंक

22,00,000/-रु, बैंक सं. 301206 दिन 23.12.2019 भारतीय स्टेट बैंक

यह विक्रय विलेख क्रेता—विक्रेता व गवाहान के समक्ष उन्हें पढ़ाकर, सुनाकर व विखाकर ड्राफ्ट व टाई^२ किया गया है।

Netrapal Singh

दिनोंका : 23.12.2019

टाईप किया : क० क० शर्मा मथुरा।

ड्राफ्ट किया : नितिन कुमार बंसल दस्तावेज लेखक रजिस्ट्री कार्यालय मथुरा।
साक्षी—

1. चिर्णेंग चौधरी पुत्र श्री अशोक कुमार

निर्मल मथुरा रोड, निकट राजरानी मेहरा गैस्ट हाउस
त्रिपुरासी नगर हाथरस।

Chirag.

2. श्रीमती सरिता सिंह पत्नी श्री नेत्रपाल सिंह

निर्मल वी-९, जजेज कम्पाउण्ड, निकट के हॉस्पीटल
रिवर बैंक कॉलोनी, लखनऊ।



Sarita Singh

आवेदन सं: 201900764047123

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 15467 के पृष्ठ 33 से 56 तक
क्रमांक 18642 पर दिनांक 23/12/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

5 जनरल स्टाफ 23-12-19
उप अधिकारी
पुस्तकालय
सूची

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस० क० सिंह
उप निबंधक : सदर प्रथम
मधुरा
23/12/2019





ਨੇਤ੍ਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ। ਜਾਂਬਿਜ਼ ਵਿਦਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ। ਜਾਂਬਿਜ਼ ਵਿਦਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ।

੨੨੭.੫੦ ਏਕੋਂ

ਨੇਤ੍ਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ।

੨੨੭.੫੦ ਏਕੋਂ

ਨੇਤ੍ਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ।



Netrapal Singh

Netrapal Singh

18903/2009

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

₹.20

जारी

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

IAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 967362

!! ओउम श्री सिद्धिदात्री नमः !!

तितम्मा प्रलेख (शुद्धिपत्र)

देव स्टाम्प - 100 / रु.

कार्य क्षेत्र उपनिबंधक | मथुरा।

हम कि मैसर्स महाराजा रीयल्टर्स जो एक पंजीकृत फर्म है, जो फर्म निवंधक उत्तर प्रदेश आगरा द्वारा पंजीकरण सं. 139 ए जी 12530 दिनांक 27.05.2014 द्वारा पंजीकृत है, जिसका प्रधान कार्यालय महाराजा कॉम्प्लैक्स, सौख रोड, निकट मण्डी समिति मथुरा है, द्वारा साझीदार विपिन सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जी निवासी ग्राम पाली ढूंगरा सौख रोड तहसील गोवर्धन जिला मथुरा, हाल निवासी महाराजा हाऊस 106,107 व 108 आनन्दलोक, गोवर्धन रोड तहसील व जिला मथुरा पैन : ए ए जेड एफ एम 1342 सी – मैसर्स महाराजा रीयल्टर्स, मो : 08859404056 व नेत्रपाल सिंह पुत्र स्व० रमेशचन्द्र निवासी ग्राम उटवारा पोस्ट सिमरौठी परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ़, मो-8077007377 व पैन . वी एन एच पी एस 7422 पी द्वितीय पक्ष, पक्षगण इस तितम्मा प्रलेख (शुद्धिपत्र) के हैं।

Netrapal Singh





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

{ 2 }

38AA 967361

जोकि प्रथम पक्ष ने दो किता भूखण्ड सं. ए-69 व ए-70 जो आपस में मिले हैं, कुल पैमायश पूरब-14.64 मीटर, पश्चिम-14.64 मीटर, उत्तर-15.54 मीटर, दक्षिण-15.54 मीटर कुल क्षेत्रफल 272 वर्गगज बराबर 227.50 वर्गमीटर, जिसकी सीमा इस प्रकार है।

पूरब - रास्ता कॉलोनी 9 मीटर चौड़ा

पश्चिम - भूखण्ड सं. ए-75 व ए-76

उत्तर - भूखण्ड सं. ए-68

दक्षिण - भूखण्ड सं. ए-71

स्थित मौजा गनेशरा तहसील व जिला मधुरा अन्दरून महाराजा पार्क आवासीय कॉलोनी, जो खसरा नं 978,979,980,977 / 2(भाग) व 976(भाग) मौजा गनेशरा तहसील व जिला मधुरा की भूमि पर बनी है और विक्रय भूखण्ड खसरा नं. 979 की भूमि में है, को हितीय पक्ष के हक में विक्रय कर तहसील तकमील व रजिस्ट्री दिनांक 23.12.2019ई0 को किया, जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिवंधक मधुरा पर बही नंबर 1 जिल्द संख्या 15467 के

3 (TH)

Netrapal Singh



भारतीय गैर न्यायिक

वीस रुपये

₹.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

{ 3 }

38AA 967363

सफा 33-56 प्रलेख सं. 18642 दिनांक 23.12.2019ई0 को हुई है। उक्त विक्रयपत्र में पृष्ठ सं. 10 में वर्णित विवरण मूल्य धनराशि में 22,00,000/-रु. चैक सं. 301206 दिन 23.12.2019 भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विक्रेता को देना दर्शाया है, जबकि उक्त चैक की लिमिट 10 लाख रुपये ही है, जो त्रुटि पक्षगण से भूलवश हुई है, जिस कारण उक्त त्रुटि को दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। अतः इस तितम्मा प्रलेख द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि

Netrapal Singh

Netrapal Singh

आवेदन सं: 201900764847617

शुद्धिपत्र

बही सं: 1

रजिस्ट्रेशन सं: 18903

वर्ष: 2019

प्रतिकल- 0 स्टाम्प शुल्क - 100 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 40 पोस्ट : 140

श्री मेरार्स महाराजा रीयलट्स द्वारा
 विपिन सिंह अधिकृत पदाधिकारी प्रतिनिधि
 पुत्र श्री महाराजा रीयलट्स स्टाम्प की ०
 त्यवसाय अवृत्ति ३०१२१९
 निवासी प्रतिलिपि प्राप्ति कर्ता मधुरा द्वारा मिल महाराजा हाउस-106, 107 व 108
 आनन्दनगर मधुरा



संतान
 श्री मेरार्स महाराजा रीयलट्स की प्रतिलिपि प्राप्ति कर्ता
 विपिन सिंह अधिकृत
 ने यह रजिस्ट्रीकरण कर्ता का व्युत्पादन विक्री करने का अनुमति दिया।
 28/12/2019 तारीख ५२ पंजीकरण की ओर किए गए।
 निवासी हैं तथा विक्री की तैयारी की गई।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस० क० सिंह
 उप निवंधक सदर प्रथम
 मधुरा
 28/12/2019
 सतीष चौधरी,
 निवंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

₹.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

{ 4 }

38AA 967364

विक्रयपत्र के पृष्ठ सं. 11 में वर्णित 22,00,000/- रु चैक सं. 301206 दिनों
23.12.2019 भारतीय स्टेट बैंक के स्थान पर उक्त राशि निम्न प्रकार प्राप्त
होना माना जावेगा व समझा जावेगा—

7,00,000/- रु चैक सं. 301207 दिनों 23.12.2019 भारतीय स्टेट बैंक

7,00,000/- रु चैक सं. 301208 दिनों 23.12.2019 भारतीय स्टेट बैंक

8,00,000/- रु चैक सं. 301209 दिनों 23.12.2019 भारतीय स्टेट बैंक

अन्य कोई परिवर्तन विक्रयपत्र में नहीं किया गया है। इस तितम्बा प्रलेख से
विक्रय प्लॉट के पक्षकारण, मालियत, स्टाम्प, आदि में कोई परिवर्तन नहीं
हुआ है। यह तितम्बा प्रलेख विक्रयपत्र दिनांक 23.12.2019 द्वारा प्रलेख सं.
18642 का भाग रहेगा व माना जावेगा। अतः यह तितम्बा / शुद्धिपत्र प्रलेख
पूर्ण स्वस्थ्यचित्त, होशो-हवास में खूब सोच समझकर लिख दिया, कि सनद
रहे और समय पर काम आवे।

Netrapal Singh

गुरु

Netrapal Singh

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

₹.20

भारत

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

{ 5 }

38AA 967365

यह प्रलेख पक्षगण के निर्देशानुसार उन्हें पढ़ाकर, सुनाकर, दिखाकर ड्राप्ट
व टाईप किया गया है।

Netrapal Singh



तहरीर दिनांक : 28.12.2019

टाईप किया : कै० कै० शर्मा, मथुरा।

ड्राप्ट किया : नितेन कुमार बंसल कातिब रजिस्ट्री ऑफिस, मथुरा।
साक्षी—

1. चिराग धौधरी पुत्र श्री अशोक कुमार
नि० मथुरा रोड, निकट राजसानी मेहरा गैस्ट हाउस
त्रिपुरारी नगर हाथरस।



2. श्रीमती सरिता सिंह पत्नी श्री नेत्रपाल सिंह
नि० चौ—९, जजोज कम्पाउण्ड, निकट के के हॉस्पीटल
रिवर बैंक कॉलोनी, लखनऊ।



Sarita Singh

Chirag

आवेदन सं०: 201900764047617

बही संख्या । जिल्द संख्या 15481 के पृष्ठ 13 से 22 तक
क्रमांक 18903 पर दिनांक 28/12/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

जनरल स्टाम्प की ० २०
 क्रमांक ५ ताता २८/१२/१९
 नाम अरविन्द कुमार राठाम्प दिक्षेत्र
 संख्या १ नि
अरविन्द कुमार राठाम्प दिक्षेत्र
 लाठन० ११, रजिस्ट्री आविस, मथुरा

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस० क० सिंह
 उप निबंधक : सदर प्रथम
 मथुरा
 28/12/2019